

झारखंड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी, सूचना प्रावैधिकी एवं उद्योग विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल आदेश देते हैं कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम, जहाँ तक के भारत के संविधान के प्रावधानों से असंगत न हों, अत्यावश्यक कंडिका §2 में उल्लिखित परिवर्तन सहित, सम्पूर्ण झारखंड राज्य में लागू होगी।

2. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 95 को अत्यावश्यक परिवर्तनों के साथ "झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 1995" के रूप में अंगीकार किया जाता है।

अनुसूची

§1. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 अत्यावश्यकतापूर्वक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक - 374

राँची, दिनांक -

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, झारखंड राँची को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखंड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराई जाये एवं उसकी 250 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाये।

सरकार के अपर सचिव



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

(सं० पटना 263)

31 आषाढ़ 1917 (श०)
पटना, शनिवार, 22 जुलाई, 1995

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

22 जुलाई, 1995

सं.एल.जी-1-03195 लेज.-230 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल 19 जुलाई, 1995 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

[वि० सं०-वि०-15/95]

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, १९९५

राज्य के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में स्नातक स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियालिसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** — (1) यह अधिनियम बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 कहा जा सकेगा ।

(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

2. **परिभाषाएं** — इस अधिनियम में अबतक अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995,

(ख) "विभाग" से अभिप्रेत है बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट विभाग,

(ग) "व्यावसायिक पाठ्यक्रम" से अभिप्रेत है, अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम तथा इसमें शामिल है समान प्रकृति का कोई अन्य पाठ्यक्रम,

(घ) "विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा संपोषित विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं संस्थान,

(ङ) "पर्षद्" से अभिप्रेत है अधिनियम के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद्,

(च) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन गठित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का अध्यक्ष,

- (छ) "परीक्षा नियंत्रक" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन नियुक्त परीक्षा नियंत्रक,
- (ज) "गुणागुण सूची" से अभिप्रेत है, अधिनियम के अन्तर्गत तैयार की गई गुणागुण सूची,
- (झ) "प्रवेश" से अभिप्रेत है, गुणागुण सूची से योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश।

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश ।— (1) किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, आदेश अथवा किसी अधिनियम, नियम या परिपत्र में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभियंत्रण, चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा, फार्मसी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, मत्स्य, डेयरी, वानिकी के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों तथा समान प्रकृति के अन्य पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा ।

(2) राज्य एवं राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में प्रवेश के लिए जहाँ राज्य सरकार से मनोनयन की अपेक्षा हो, ऐसा मनोनयन संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जायेगा ।

4. पर्षद् ।— बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, जिसकी एक सामान्य मुहर होगी, और जिसे चल और अचल सम्पत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा तथा वह अपने नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा ।

5. संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन ।— संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद् का गठन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित रीति से किया जा सकेगा :—

- (i) सदस्य, राजस्व पर्षद्, बिहार अध्यक्ष
- (ii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
कृषि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, पशु एवं
मत्स्य-पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में
से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम
निर्देशित आयुक्त एवं सचिव / सचिव स्तर के अधिकतम
दो पदाधिकारी सदस्य

- (iii) स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, कृषि विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा वन एवं पर्यावरण विभाग में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित अधिकतम दो राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष सदस्य
- (iv) चिकित्सा महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य सदस्य
- (v) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य सदस्य
- (vi) कृषि, मत्स्य, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, कृषि अभियंत्रण एवं वानिकी महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा संजय गांधी गव्य प्राद्योगिकी संस्थान के निदेशक में से राज्य सरकार द्वारा हिन्दी वर्ण क्रमानुसार नाम निर्देशित एक प्राचार्य / निदेशक सदस्य
- (vii) निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग सदस्य-सचिव
6. पर्षद् की शक्तियों एवं कर्तव्य ।— पर्षद् की निम्नलिखित शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे:—
- (i) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन कराना,
- (ii) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक निर्णय लेना,
- (iii) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विनियम बनाना,
- (iv) पर्षद् में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति तथा प्रति नियुक्त करना,
- (v) पर्षद् की निधि, लेखा और अंकेक्षण से संबंधित सभी कार्य करना,
- (vi) पाठ्यक्रम सम्बंधी विवरण पुस्तिका एवं आवेदन-पत्रों के विक्रय मूल्य तथा परीक्षा शुल्क के निर्धारण संबंधी कार्य,
- (vii) परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम विहित करना,
- (viii) उत्तर पुस्तिकाओं के कूटबद्ध करने (कोडिंग) एवं कूट खोलने (डिकोडिंग) संबंधी कार्य,
- (ix) अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए परीक्षा नियंत्रक को मार्गदर्शन देना एवं उनके कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण ।

7. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ।— (1) राज्य सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय वेतनमान अथवा उक्त सेवा के ऊपर के वेतनमान के पदाधिकारी की नियुक्ति संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षा नियंत्रक के रूप में कर सकेगी ।

(2) परीक्षा नियंत्रक का कार्यकाल सामान्यतः कम-से-कम एक वर्ष का होगा।

8. परीक्षा नियंत्रक के कार्य ।— परीक्षा नियंत्रक के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) प्रश्न पत्रों का चयन एवं प्रश्न पत्रों तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण ;

(ख) परीक्षा केन्द्रों का चयन ;

(ग) परीक्षा का स्वच्छ संचालन ;

(घ) प्रश्न पत्रों / उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा केन्द्रों पर भेजना एवं वापस लाना, कूटबद्ध (कोडिंग) करना एवं कूट खोलना (डिकोडिंग);

(ङ) उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ;

(च) परीक्षाफल की घोषणा ;

(छ) प्रवेश हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों को अनुशंसा भेजना ;

(ज) उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना ;

(झ) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) में उल्लिखित कार्यों के सम्पादन हेतु आवश्यक व्यय की स्वीकृति एवं भुगतान संबंधी कार्य ।

9. स्थानों की सूचना ।— परीक्षा नियंत्रक द्वारा विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न संकाय एवं विषय में संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की सूचना प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जायगी ।

10. गुणागुण सूची ।— परीक्षा नियंत्रक राज्य में लागू आरक्षण नियमों का अनुसरण करते हुए विहित रीति से अभ्यर्थियों की गुणागुण सूची तैयार करेगा ।

11. प्रवेश ।— व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विभिन्न संकायों एवं विषयों में प्रवेश, योग्यता-सह-विकल्प के आधार पर गुणागुण सूची से किया जायेगा ।

12. अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा ।— (1) गुणागुण सूची के अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य परीक्षा विहित रीति से पर्यट्ट कर सकेगा अथवा ऐसे अभ्यर्थियों से अधिकृत चिकित्सक का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा, जैसा वह उचित समझे, कर सकेगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु अनुशंसा की जा सकेगी ।

13. निधि और लेखा ।— (1) बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद की एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी :-

- (i) पाठ्यक्रम, आवेदन-पत्र एवं अन्य सामग्रियों की विक्री से प्राप्त राशि;
 - (ii) विभिन्न शुल्कों से प्राप्त राशि ;
 - (iii) राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा अन्य स्रोतों से समय-समय पर प्राप्त अनुदान;
 - (iv) अन्य प्राप्तियाँ ;
- (2) पर्सद अपनी निधि किसी राष्ट्रीयकृत या सहकारी बैंक में रखेगा ।
- (3) पर्सद राज्य सरकार को ऐसे विवरण, लेखा, प्रतिवेदन और अन्य ब्योरे उपलब्ध करायेगा जिनका राज्य सरकार अपेक्षा करे ।
- (4) पर्सद अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्र सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा कानूनी निकाय से अनुदान, बिन्यास और संदान स्वीकार कर सकेगा ।
- (5) राज्य सरकार के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा पूर्व संचालित परीक्षाओं की अवशेष निधि अधिनियम के प्रभावी होने को तिथि से बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्सद को हस्तान्तरित हो जायेगी ।

14. लेखा का अंकेक्षण ।— (1) पर्सद प्रति वर्ष अपनी निधि आय-व्यय एवं लेखा का महालेखाकार, बिहार या राज्य सरकार के अंकेक्षकों या किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण करायेगा।

- (2) अंकेक्षण के खर्च का भुगतान पर्सद अपनी निधि से करेगा ।
- (3) राज्य सरकार, जैसा वह उचित समझे, पर्सद की निधि, आय-व्यय एवं लेखा का अंकेक्षण महालेखाकार, बिहार अथवा अन्य अभिकरण से करा सकेगी ।

15. लेखा पदाधिकारी ।— (1) पर्सद का एक लेखा पदाधिकारी होगा, जिनकी नियुक्ति पर्सद द्वारा राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से की जायेगी ।

- (2) लेखा पदाधिकारी पर्सद का बजट तैयार करने तथा लेखा के संधारण हेतु उत्तरदायी होगा ।
- (3) लेखा पदाधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत परीक्षा नियंत्रक द्वारा स्वीकृत सभी राशि का भुगतान करेगा ।

16. उत्तर पुस्तिका का सुरक्षित रखा जाना ।— संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिका परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि परीक्षा से संबद्ध कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन हो तो उक्त परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएँ वाद के निष्पादन तक सुरक्षित रखी जायेंगी ।

17. **शक्ति का प्रत्यायोजन** ।— पर्वद् इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त कोई शक्ति पर्वद् के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार की ऐसे निर्बन्धनों एवं शर्तों के अध्यक्षीन प्रत्यायोजित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे ।
18. **नियम बनाने की शक्ति** ।— राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये शासकीय गजट में अधिसूचना जारी कर नियमावली बना सकेगा ।
19. **कठिनाईयाँ दूर करना** ।— इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न किसी कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य सरकार ऐसा आदेश कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो ।

22 जुलाई, 1995

सं. एल०जी०-1-03195 लेज.:-231 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथा- पारित और राज्यपाल द्वारा 19 जुलाई, 1995 को अनुमत बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

[Bihar Act 15, 1995]
**THE BIHAR COMBINED ENTRANCE COMPETITIVE
EXAMINATION ACT, 1995.**

**AN
ACT**

To Provide for Combined Competitive Examination for entrance in graduate level vocational course of the Universities, Colleges and Institutions in the State.

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the forty sixth year of the Republic of India as follow :—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995 :

(2) It shall come into force from the date as the State Government by notification in the Bihar Gazette may appoint.

(3) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

2. **Definitions.**— In this Act unless otherwise required in the context :-

(a) "Act" means the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Act, 1995;

(b) "Department" means the department referred to in the first schedule of the Rules of Executive Business, Bihar, 1979;

(c) "Vocational Course" means a course in engineering, medical science, dentistry, pharmacy, veterinary science, agriculture science, fishery, dairy, forestry of the graduate standard and includes any other course of the same nature;

(d) "University, college and institute" means any University, college and institute managed and maintained by the State Government;

(e) "Board" means the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board constituted under the Act.

- (f) "Chairman" means a Chairman of the Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board constituted under Act;
- (g) "Controller of Examination" means Controller of Examination appointed under the Act;
- (h) "Merit list" means a merit list prepared under the Act;
- (i) "Entrance" means entrance in vocational course of the Universities, College and Institutions on the basis of merit-cum -option from the merit list.

3. **Admission in vocational courses.** — (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any decision, decree, order of any court or in any Act, rule or circular, the admission in the first year of the graduate standard of Engineering, Medical Science, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Science, Agriculture Science, Fisheries, Dairy, Forestry and other courses of same nature shall be made on the basis of the combined Entrance Competitive Examination.

(2) Nomination for the admission in the Universities, Colleges and Institutes within the state and out side the state where such nomination is required to be made by the State Government, shall be made on the basis of the Combined Entrance Competitive Examination.

4. **The Board.** — The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board shall be a body corporate which shall have a perpetual succession and a common seal and it shall have the right to acquire the movable and immovable properties and may sue and be sued in its name.

5. **Constitution of Combined Entrance Competitive Examination Board**— The State Government shall constitution the Combined Entrance Competitive Examination Board from time to time in the following manner:—

- (i) Member, Board of Revenue, Bihar — Chairman.
- (ii) Maximum two officers of the rank of Commissioner and Secretary to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Health, Medical Education and Family Welfare Department, Agriculture Department, Science and Technology Department, Animal Husbandry

and Fisheries Department and Forestry and Environment Department — Member.

(iii) Maximum two State level Head of the Department to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from amongst Health, Medical Education and Family Welfare Department, Agriculture Department, Animal Husbandry and Fisheries Department and Forest and Environment Department—Member.

(iv) A Principal to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Medical Colleges—Member.

(v) A Principal to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Government Engineering Colleges—Member.

(vi) A Principal/Director to be nominated by the State Government in Hindi alphabetical order from the Principals of Colleges of Agriculture, Fisheries, Veterinary and Animal Husbandry, Agricultural Engineering and Forestry and the Director of the Institute of Sanjay Gandhi Dairy Technology—Member.

(vii) Director, Department of Science & Technology—Member Secretary.

6. Powers and duties of the Board— The following shall be the powers and duties of the Board;

(i) To conduct the Bihar Combined Entrance competitive Examination;

(ii) To take necessary decisions for the implementations of the provisions of the Act;

(iii) To make regulation, with the prior permission of the State Government for the implementation of the provisions of the Act;

- (iv) To make appointments and deputation of officers and employees in the Board;
- (v) To perform all functions relating to the fund, account and audit of the board;
- (vi) To fix the sale price of the prospectus and application form and determination of the Examination fees;
- (vii) To prescribe Courses of studies for the examination;
- (viii) Works relating to coding and decoding of Answer Books;
- (ix) To issue guidelines to the Controller of Examinations for the implementation of the provision of the Act and to have General Supervision and Control over his work.

7. Appointment of Controller of Examination.— (1) The State Government shall appoint an Officer of Indian Administrative Service in the Senior pay scale or higher pay scale as the Controller of Examination for the Combined Entrance Competitive Examination.

(2) The tenure of the Controller of Examination shall be normally of one year minimum.

8. Function of the Controller of Examination.—The function of the Controller of Examination shall be the following:-

- (a) The setting of the question papers and printing of the question papers and answer books;
- (b) Selection of the Examination Centres;
- (c) Fair conduct of the Examination;
- (d) Despatch and receipt of question papers/answer books to and from the examination centres and their coding and decoding;
- (e) Evaluation of answer books;
- (f) Declaration of result of the Examination;
- (g) Sending recommendation for admission to Universities, Colleges and Institutes;
- (h) Safe custody of answer books;
- (i) Sanction and payment of expenditure for the works mentioned above in (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), and (h).

9. **Information of Seats.**—The Controller of Examination shall obtain information every year regarding the available seats in different faculties and subjects in Universities, Colleges and Institutes to be filled by the Combined Entrance Competitive Examination.

10. **Merit list.**— The Controller of Examination shall prepare a merit list of candidates in the prescribed manner accordance with reservation policy of the State Government.

11. **Admission.**— Admission in different faculties and subjects of vocational course shall be taken from the merit list on the basis of merit-cum-option.

12. **Medical Examination of the Candidates.**— (1) The Board may, as it thinks proper, require the Medical Examination of candidates from merit list to be done in the prescribed manner or require for the production of medical certificate of such candidates from the authorised practitioner.

(2) The Controller of Examination shall recommend for admission of the candidates found fit in the medical test.

13. **Funds and Accounts.**— (1) The Bihar Combined Entrance Competitive Examination Board shall have fund in which the following shall be deposited—

- (i) The sale-proceeds of prospectus, Application Forms and other materials;
- (ii) The amount collected from different fees;
- (iii) The Grants received from time to time from the State Government, the Central Government and other sources;
- (iv) Other receipts.

(2) The Board shall deposit its fund in any Nationalised or Co-operative Bank.

(3) The Board shall furnish such statements, Accounts, Reports and other details as required by the State Government.

(4) The Board may accept the grants, funds and aid from Central Government, any State Government or a Statutory body to fulfil its aims and objects.

(5) The balance fund of examination conducted previously by the Health, Medical Education and Family Welfare Department, Animal Husbandry and Fisheries Department and Science and Technology Department of the State Government shall stand transferred to the Bihar Combined Entrance Competitive Examinations Board from the date of the Act comes into force.

14. Audit of Accounts.—(1) Every year the Board shall cause its fund, Income expenditure and Accounts audited by the Accountant-General, Bihar or Auditors of the State Government or any Chartered Accountant.

(2) The Board shall pay the cost of audit from its own fund.

(3) The State Government, as it may deemed fit, cause the funds, Income Expenditure and Accounts of the Board to be audited by the Accountant-General, Bihar or any other agency.

15. Accounts Officer.—(1) There shall be an Accounts officer of the Board, who shall be appointed by the Board with the prior approval of the State Government.

(2) The Accounts Officer shall be responsible for preparation of the Budget and for maintenance of Accounts of the Board.

(3) Accounts Officer shall make all the payments of amounts sanctioned by the Controller of Examination under section 8 of the Act.

16. Safe Custody of Answer Books.— The answer books of the Combined Entrance Competitive Examinations shall be kept in safe custody for a period of one year from the date of the declaration of the result :

Provided that if a case relating the Examination is pending in a court, the answer book of the said Examination shall be kept in safe custody till the disposal of the case.

17. Delegation of Powers.— The Board may delegate any of its powers, conferred under the Act to any officer of the Board or authority subject to such terms and conditions as it may deem fit.

18. Power to make Rules.— The State Government may by notification in the official Gazette, make rules to carry out the provisions of the Act.

19. Removal of Difficulties.— For the removal of any difficulty arising in the implementation of the provisions of this Act the State Government may pass such orders as are not inconsistent with the provisions of this Act.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विन्देश्वरी प्रसाद यादव,
प्र० संयुक्त सचिव, विधि विभाग ।

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित तथा

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 2 03--लाईनो 750--590--यमुना प्रसाद ।

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

:: अधिसूचना ::

पटना- 15, दिनांक 4 सितम्बर, 1996 ई० ।
संख्या- सी.एस.01/ए. 1-104/94 2899/ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 (बिहार अधिनियम, 15/95) की धारा-1, उप खंड-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल कृपा पूर्वक बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम, 1995 की सभी धाराओं एवं प्रावधानों को दिनांक- 01, सितम्बर, 1996 से लागू करते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- सी.एस.01/ए. 1-104/94 2899/ पटना- 15, दिनांक 4 सितम्बर, 1996 ई० ।

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित कराई जाये एवं उसको 250 अतिरिक्त प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाये ।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- सी.एस.01/ए. 1-104/94 2899/ पटना- 15, दिनांक 4 सितम्बर, 1996 ई० ।

प्रतिलिपि, सदस्य, राजस्व पर्षद/ सचिव, कृषि विभाग/ सचिव, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग/ मुख्य वन संरक्षक, राँची/ निदेशक-प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया/ प्राचार्य, बिहार इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलोजी, सिन्दरी/ प्राचार्य, कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/ निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- सी.एस.01/ए. 1-104/94 2899/ पटना- 15, दिनांक 4 सितम्बर, 1996 ई० ।

प्रतिलिपि, योजना परामर्शी तथा विकास आयुक्त/ राज्यपाल के प्रमुख सचिव/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- सी.एस.01/ए. 1-104/94 2899/ पटना- 15, दिनांक 4 सितम्बर, 1996 ई० ।

प्रतिलिपि, सभी प्रधान सचिव/ आयुक्त एवं सचिव/ सचिव/ शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)

सरकार के उप सचिव ।